# न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 22/2019

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1 नीम्बाराम 2 नगाराम 3 थानाराम 4 मानाराम पिसरान रामाराम जाति जाट निवासी रामपुरा गरल 5 बाली पुत्री रामाराम पत्नी प्रहलादराम जाति जाट निवासी महाबार पीथल 6 पेम्पोदेवी पुत्री रामाराम पत्नी देवाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला (जाखड़ो की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर 7 मनीषा पुत्री रामाराम पत्नी धीराराम जाति जाट निवासी खेजड़ली (थूम्बली) तहसील शिव व जिला बाड़मेर। | | 1 रामाराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी रामपुरा गरल तहसील व जिला बाड़मेर। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.**

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील प्रतिवादी पक्ष।

## निर्णय

दिनाक 27.02.2019

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादी एवं प्रतिवादी की सयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जोगेश्वर कुआ पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 471/404 रकबा 38.00 बीघा तथा मौजा रामपुरा गरल पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 405/79 रकबा 86.14 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि सताराम की खातेदारी की थी। सताराम के देहान्त पर उक्त भूमि उसके पुत्र रामाराम के नाम दर्ज की गई। उक्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी रामाराम की जायन्दा औलाद है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिता के जीवनकाल में सहखातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी रामाराम द्वारा ईकबाली जवाब मय राजीनामा प्रस्तुत किया, जो बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी रामाराम को कोई आपति नही है। वादी निम्बाराम द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमे वाद मे अंकित तथ्यो की पुष्टी की। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा वादीगण उक्त पैतृक भूमि मे अपने पिता रामाराम के साथ सहखातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जोगेश्वर कुआ ~~पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 471/404 रकबा~~ पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के 38.00 बीघा तथा मौजा रामपुरा गरल पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 405/79 रकबा 86.14 बीघा भूमि पैतृक होने से वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम की खातेदारी में सहखातेदार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

# यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण बनाम प्रतिवादी

1 नीम्बाराम 2 नगाराम 3 थानाराम 4 मानाराम पिसरान रामाराम जाति जाट निवासी रामपुरा गरल 5 बाली पुत्री रामाराम पत्नी प्रहलादराम जाति जाट निवासी महाबार पीथल 6 पेम्पोदेवी पुत्री रामाराम पत्नी देवाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला (जाखड़ों की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर 7 मनीषा पुत्री रामाराम पत्नी धीराराम जाति जाट निवासी खेजड़ली (थूम्बली) तहसील शिव व जिला बाड़मेर।

1 रामाराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी रामपुरा गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 22/2019

निर्णय दिनांक :– 27.02.2019

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.02.2019 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जोगेश्वर कुआ पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 471/404 रकबा 38.00 बीघा तथा मौजा रामपुरा गरल पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 405/79 रकबा 86.14 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 27.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर)

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्सप | |
| 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 ...... रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Scanned by CamScanner